

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
मौखिक प्रश्न सं. 101  
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना**

**101 श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या यह सच है कि देश में विदेशी पर्यटकों की आमद (एफटीए) अभी भी महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच पायी है, यदि हां, पर्यटकों की इतनी कम आमद के क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश विदेशी पर्यटकों के लिए कम लाभकारी होता जा रहा है, जिसके कारण पर्यटकों की कम आमद हो रही है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 101 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

(क) से (ग): आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 9.52 मिलियन दर्ज हुआ है, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 47.9% की वृद्धि को दर्शाता है। एफटीए में महामारी से पूर्व के स्तर की 87.1% बहाली हुई है, जो 88.8% की वैश्विक बहाली दर के काफी निकट है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 65.4% की बहाली दर से अधिक है।

नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2019-2023 के दौरान भारत में एफटीए का विवरण दिया गया है।

वर्ष	एफटीए (मिलियन में)	महामारी से पूर्व के स्तर की बहाली का प्रतिशत
2019	10.93	-
2020	2.74	25.1
2021	1.52	13.9
2022	6.44	58.9
2023	9.52	87.1

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो और यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर, मई 2024

पर्यटन मंत्रालय ने देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नानुसार अनेक कदम उठाए हैं:

- पर्यटन मंत्रालय देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है। ऐसी कुछ पहलें हैं - देखो अपना देश अभियान, चलो इंडिया अभियान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व।

- अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया गया था जो कि एक व्यापक डिजिटल कोष है, जिसमें भारत में पर्यटन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक विशाल संग्रह है। मंत्रालय की वेबसाइट-www.incredibleindia.org और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी संवर्धन किया जाता है।
- अन्य विशिष्ट विषयों के साथ-साथ निरोगता पर्यटन, पाककला पर्यटन, ग्रामीण, इको-पर्यटन आदि जैसे विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन के दायरे को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके।
- 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण', 'अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता' (आईआईटीएफ), 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' जैसी क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित पहलों के माध्यम से समग्र गुणवत्ता और आगंतुक अनुभव को बढ़ाना।
- महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। अब तक 53 पर्यटन मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है।
- ई-वीजा योजना अब 167 देशों के लिए 9 उप-श्रेणियों में उपलब्ध है:

- i. ई-टूरिस्ट वीजा
- ii. ई-बिजनेस वीजा
- iii. ई-मेडिकल वीजा
- iv. ई-कॉन्फ्रेंस वीजा
- v. ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा
- vi. ई-आयुष वीजा
- vii. ई-आयुष अटेंडेंट वीजा
- viii. ई-स्टूडेंट वीजा
- ix. ई-स्टूडेंट एक्स वीजा

\*\*\*\*\*